न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 55/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–अम्बु पिता बक्षु जाट नि0 आम्बा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–लेहरू पिता रामलाल जाट नि0 आम्बा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–बेणा पिता भैरू जाट नि0 आम्बा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3–धन्ना पिता जवाहरमल जाट नि0 आम्बा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4–देवा पिता गोकल जाट नि0 आम्बा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 15.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नारायणखेड़ा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम आम्बा का खेडा पटवार हल्का नारायणखेडा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 308 रकबा 0.38 हे0, आराजी संख्या 310 रकबा 0.36 हे0, आराजी संख्या 386 रकबा 0.47 हे0 भूमि कुल किता 03 कुल रकबा 1.21 हे0 भूमि खाता संख्या 7 मे दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मे दरम्यान पक्षकारान आपस मे बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी की उक्त उक्त आराजियात के चारो तरफ के पड़ौसी होने से उन्हे पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने हेतु कहा लेकिन हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थर गढी करवाने बाबत् दिनांक 24.04.2017 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गए, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 01.05.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 3 उपस्थित है तथा पत्थरगढी कराने मे कोई आपति जाहिर नही की है। तथा विपक्षी संख्या 4 के विरूद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम आम्बा का खेडा पटवार हल्का नारायणखेडा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 308 रकबा 0.38 हे0, आराजी संख्या 310 रकबा 0.36 हे0, आराजी

संख्या 386 रकबा 0.47 है0 भूमि कुल किता 03 कुल रकबा 1.21 है0 भूमि खाता सख्या 7 में दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 280/– अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 280/– अक्षरे दौ सौ अस्सी रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा